न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर
पिठासीन अधिकारी श्री सुरेन्द्र प्रसाद (आर0ए0एस0)

राजस्व वाद संख्या– 53/2018

1– मनीराम बुगासरा पुत्र जेठाराम
2– मेहराम बुगासरा पुत्र जेठाराम
3– जेठाराम पुत्र गणेशाराम
4– राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामकरण जाति समस्त जाट निवासीगण बोडिन्द खुर्द तहसील जायल जिला नागौर।

.....वादीगण

बनाम

1– गणेशाराम पुत्र लिछमणराम
2– प्रेमाराम बुगासरा पुत्र रामकरण
3– गीता पत्नि रामकरण जाति ।
4– रामेश्वरी पुत्री रामकरण जाति समस्त जाट निवासी बोडिन्द खुर्द तहसील जायल जिला नागौर।
5– सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला नागौर।

..... प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनिय

उपस्थित अधिवक्ता
1 श्री हनुमानराम मण्डा वादीगण की और से।

–: निर्णय :–

दिनांक 20.07.18

वाद वादीगण संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के पुस्तैनी बडेर की भूमि मौजा बोडिन्द खुर्द के खेत खसरा नम्बर 02 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 54 रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 68/358 रकबा 04 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 148 रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा, खसरा

उपखण्ड अधिकारी
जायल,जिला नागौर

Scanned by CamScanner

नम्बर 397/246 रकबा 04 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 304/338 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 305 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 308/337 रकबा 10 बिस्वा गणेशाराम व रामकरण के खातेदारी की है। प्रतिवादी सं.01 के जायन्दा पुत्र सन्तान ही है पुत्री सन्तान नहीं है तथा रामकरण का स्वर्गवास दिनांक 25.10.2013 को हो गया है उन के पिछे उत्तराधिकारी वादी सं. 04 व प्रतिवादी सं. 02 से 04 है तथा वादी सं. 03 जेठाराम के पुत्री सन्तान नहीं होने से वादी सं. 01 व 02 पुत्रों को ही पक्षकार बनाया है। वादीगण ने यह वाद पेश कर निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से पारिवारीक बंटवारा संवत् 2072 को आखातीज को कर लिया बंटवारा स्कीम के अनुशार वाद को डिक्री किया जावे।

वाद वादीगण का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी सं0 01 से 04 की और से सरपंच ग्राम पंचायत दुगस्ताऊ व पटवारी मुरधरसिंह पटवार मण्डल दुगस्ताऊ ने इन की पहचान देकर इन की ओर से राजीनाम पेश किया। प्रतिवादी संख्या 05 ने वाद पर जबाब पेश किया।

पक्षकारान में राजीनामा होने के कारण वाद में विवाधक बिन्दु तय नहीं किये। प्रकरण में विद्धवान अधिवक्तआ वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए वाद पत्र में अंकित ईस्तदुआ के अनुसार खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार जायल को तहरीर जारी की जाकर वाद को निर्णित करते हुए वाद को डिक्री किये जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्धवान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। वादीगण का वाद निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है :–

1– वादी मनीराम के हक बंट में मौजा बोडिन्द खूर्द के खेत खसरा नम्बर 02 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा में से 09 बीघा 07 बिस्वा पश्चिमी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

2– वादी मेहराम के हक बंट में मौजा बोडिन्द खूर्द के खेत खसरा नम्बर 02 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा में से 09 बीघा 07 बिस्वा पूर्वी भाग, खसरा नम्बर 54 रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा पूरा व खसरा नम्बर 148 रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा में से 10 बीघा 17 बिस्वा उत्तरी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
जायल,जिला नागौर

Scanned by CamScanner

3 वादी जेठाराम के हक बंट में मौजा बोडिन्द खूर्द के खेत खसरा नम्बर 02 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा में से 01 बीघा उत्तरी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

4— वादी राजेन्द्र प्रसाद व प्रतिवादी प्रेमाराम के हक बंट में मौजा बोडिन्द खूर्द के खेत खसरा नम्बर 68/358 रकबा 04 बीघा 19 बिस्वा पूरा व खसरा नम्बर 148 रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा में से 10 बीघा 17 बिस्वा दक्षिणी भाग सामलाती में रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

5— प्रतिवादी गणेशाराम के हक बंट में मौजा बोडिन्द खूर्द के खेत खसरा नम्बर 397/243 रकबा 04 बीघा 16 बिस्वा पूरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

6— वादी राजेन्द्र प्रसाद व प्रतिवादी प्रेमाराम, रामेश्वरी व गीता के हक बंट में मौजा बोडिन्द खूर्द के खेत खसरा नम्बर 304/338 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा पूरा, खसरा नम्बर 305 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा पूरा व खसरा नम्बर 308/337 रकबा 10 बिस्वा पूरा सामलाती में रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

—: आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादीगण का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। इसी माफिक डिक्री पर्चा भरा जाकर तहसीलदार जायल को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
जायल,जिला नागौर
उपखण्ड अधिकारी जायल

निर्णय आज दिनांक 20.7.18 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
जायल,जिला नागौर
उपखण्ड अधिकारी जायल

Scanned by CamScanner